।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

E-Mail:- dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone No :- 01372-252175

पत्रांकः 4070 /12-1 दिनांक, गोपेश्वर, फरवरी 15 /2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषयः– जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी0 5.00 से स्वर्का बैण्ड से हरिजन बस्ती राजस्व ग्राम कलाकोट होते हुये बनियास तक मोटर मार्ग के निर्माण 0.595 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संदर्भः– आपका पत्र सं0 1613/12–1 दिनांक 12.02.2024

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित प्रकरण में चाही गयी 6 बिन्दुओं की सूचना निम्नानुसार सादर प्रेषित की जा रही हैः–

क्र.सं.	वन संरक्षक से चाही गयी सूचना	आख्या
1.	प्रकरण में ऑनलाईन पार्ट ।। में वन भूमि का विधिक स्टेटस Village Forest, हार्ड प्रति में वृक्षों की गणना से सम्बन्धित प्रपत्रों में वन क्षेत्राधिकारी पश्चिमी पिण्डर रेंज नारायणबगड़ द्वारा पत्रांक 112/12 दिनांक 08.08.2022 में वन पंचायत रतूड़ा, अकिंत किया गया है जबकि प्रस्ताव के प्रपत्र भाग–2, Site Inspection Report, संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में वन का प्रकार सिविल सोयम भूमि, अंकित किया गया है जिससे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि प्रभावित वन भूमि का विधिक स्टेटस क्या है तथा भ्रामक की स्थिति बनी हुई है। उक्त के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण करते हुये वन भूमि के विधिक स्टेटस के सम्बन्ध में सही जानकारी ऑनलाईन तथा ऑफलाईन अंकित की जाए।	प्रस्तावक विभाग एवं वन विभाग द्वारा दिनांक 13.10.2023 को स्थलीय निरीक्षण करने पर पाया गया कि प्रस्तावित संरेखण में ग्राम रतूड़ा की सिविल व वन पंचायत भूमि प्रभावित हो रही है, सिविल भूमि वृक्ष विहीन है तथा वन पंचायत भूमि में वृक्ष प्रभावित हो रहे है। उक्त पार्ट । एवं भाग–2, Site Inspection report संशोधित कर पार्ट ।। के Additional information में अपलोड कर दिया गया है तथा प्रस्ताव में भी उक्त प्रपत्र संशोधित कर दिया गया है।
2.	प्रस्ताव में संलग्न वन क्षेत्राधिकारी पश्चिमी पिण्डर रेंज नारायणबगड़ के पत्रांक 112/12 दिनांक 08.08.2022 में वन पंचायत रतूड़ा में वृक्षों की संख्या 16 अंकित की गई है जबकि संलग्न वृक्ष गणना सूची(वन पंचायत रतूड़ा) व ऑनलाइन पार्ट–।। में वृक्षों की सं0 20 अंकित की गई है के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए वृक्षों की स्पष्ट गिनती अंकित की जाए।	वन क्षेत्राधिकारी पश्चिमी पिण्डर रेंज द्वारा अवगत कराया गया कि टंकण की त्रुटिवश चीड़ पेड़ के 30–40 व्यास वर्ग के 4 पेड़ पत्र में अंकित नही होने के कारण कुल वृक्षो की सं0 16 अंकित हो गई जबकि पत्र के साथ संलग्न वृक्षो की सूची में कुल 20 वृक्ष है जो सही है।
3.	प्रस्ताव में संलग्न किये गये प्रमाण पत्रों में प्रारूप संख्या अंकित की जाए तथा वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव मार्गदर्शिका 2014 के अनुसार प्रारूप 25 का प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाए।	प्रस्ताव में प्रारूप संख्या अंकित कर दी गयी है एवं प्रारूप 25 का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
4.	ग्राम सभा चूलाकोट एवं स्वर्का का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न किये जाए।	ग्रामसभा स्वर्का, ग्राम पंचायत चूलाकोट के अन्तर्गत आती है, जिसका अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
5.	लाभान्वित होने वाले ग्रामों की अपूर्ण सूचना प्रेषित की गई है। लाभान्वित ग्रामों के परिवारों की संख्या व उनकी जनसंख्या अंकित की जाए।	प्रस्ताव में लाभान्वित ग्रामो के परिवारों की संख्या एवं जनसंख्या अंकित कर दी गयी है।
6.	प्रस्ताव में संलग्न वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लधन न होने के प्रमाण पत्र को प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया है तथा प्रमाण पत्र में उल्लेख किया गया है कि " प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन नहीं हो रहा है" के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाए।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र में निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन नही किया गया है का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है उक्त प्रकरण में वन भूमि हस्तान्तरण स्वीकृति हेतु यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,
(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांकः– 4070 /12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः–अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

01C